

फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़, जिला जयपुर ग्रामीण

कालू वगै० बनाम बालूराम वगै०

नं० :- 05/2025

| दिनांक आज्ञा या कार्यवाही | आज्ञा विस्तृत रूप से | विशेष विवरण |
|---------------------------|---|-------------|
| 16/05.2025 | <p>पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। पत्रावली आदेश में विचाराधीन है। पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा बहस का मनन किया गया। वकील प्रार्थीगण ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित बिन्दुओं को दोहराते हुए बिन्दु सं० 1 में वर्णित भूमि खसरा नम्बर 587 रकबा 1.2600 है० ग्राम सानकोटडा, पटवार हल्का सानकोटडा, तहसील आंधी, जिला जयपुर की चारों तरफ (चारों दिशाओं) की मुकमिल पत्थरगढ़ी करवाने का निवेदन किया।</p> <p>अतः पत्रावली में उपलब्ध प्रार्थीगणों का प्रार्थना पत्र, पैरोकार सरकार के जवाब/रिपोर्ट एवं अन्य दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। अवलोकन करने पर प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज० भू-राजस्व अधि० को स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार आंधी को आदेश दिया जाता है कि प्रार्थीगण की ग्राम सानकोटडा, पटवार हल्का सानकोटडा, तहसील आंधी, जिला जयपुर में स्थित भूमि खसरा नम्बर 587 रकबा 1.2600 है० में यदि मौके पर फसल न हो एवं कोई स्थगन आदेश न हो तो प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगणों की मौजूदगी में पत्थरगढ़ी की जाकर पालना रिपोर्ट भिजवावें। पत्थरगढ़ी की आड में बेदखली की कार्यवाही नहीं की जावें। अगर किसी पड़ोसी खातेदार द्वारा आपत्ति करते हैं तो उन्हें सुनवाई का उचित अवसर प्रदान कर पत्थरगढ़ी की कार्यवाही की जावें। निर्णय की प्रति तहसीलदार को भिजवाई जावें।</p> <p>निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।</p> <p>पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद पूर्ति दाखिल दफ्तर हों।</p> | |


(ललित मीना)
उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ़